भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1784**

जिसका उत्तर मंगलवार, 2 अगस्त, 2022/श्रावण 11, 1944 (शक) को दिया जाना है।

जैविक उर्वरकों का उत्पादन

1784. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जैविक उर्वरकों की उत्पादित, खरीदी गई और वितरित राज्य-वार मात्रा कितनी-कितनी है;
(ख) रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) जैविक प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) किसानों के बीच प्राकृतिक उर्वरकों के बारे में जागरूकता लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): वर्ष 2020-21 के दौरान ऑर्गेनिक उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन अनुलग्नक-। में दिया गया है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग (एनसीओएफ) के पास ऑर्गेनिक उर्वरकों की बिक्री के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ): रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) की डेडिकेटेड स्कीमों के जरिये ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है।

सामूहिक प्रणाली (क्लस्टर मोड) में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीकेवीवाई देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम के तहत किसानों को 3 वर्ष के लिए 50000 रुपए/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें ऑर्गेनिक आदानों जैसे बीज, जैव उर्वरक, जैव-कीटनाशक, ऑर्गेनिक खाद, कम्पोस्ट/वर्मी-कम्पोस्ट, वानस्पतिक अर्क आदि हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 31000 रुपए/हेक्टेयर/3 वर्ष सीधे किसानों को प्रदान किये जाते हैं।

प्रमाणीकृत आर्गेनिक उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एमओवीसीडीएनईआर सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्यान्वित की जाती है जिसमें आर्गेनिक किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) के गठन के माध्यम से आर्गेनिक उत्पादन से प्रसंस्करण और विपणन आदि तक उनकी वैल्यू चेन तैयार करने के लिए सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत एफपीओ के गठन हेतु, आर्गेनिक आदानों, गुणवत्तापूर्ण बीजों/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग तथा प्रमाणन हेतु किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु 3 वर्ष के लिए 46,575 रुपए/हेक्टेयर की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ तथा निजी उद्यमियों को राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) इन सभी पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है, फ्रंट-लाइन प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करती है। पीकेवीवाई स्कीम के तहत प्रशिक्षण एवं हैंड होल्डिंग के लिए 7500 रु. की दर से जबकि एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत किसानों को ऑर्गेनिक खेती संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा प्रमाणन करने के लिए 10,000 रु./हेक्टेयर/3 वर्ष किए जाते हैं।

****

अनुलग्नक-I

वर्ष 2020-21 के दौरान ऑर्गेनिक उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन*

वर्ष 2020-21

क्र.सं.	राज्य	शहरी कंपोस्ट (क)	ऑर्गेनिक खाद (ख)	वर्मी कम्पोस्ट (ग)	फॉस्फेट प्रचुर ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) (घ)	जैव-प्रचुर ऑर्गेनिक खाद (एमटी) (ड.)	ग्रामीण कंपोस्ट (च)	फार्मयार्ड खाद (छ)	कुल खाद लाख एमटी (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)
1.	आंध्र प्रदेश		8.02	336		-88.5			432.52
2.	अरुणाचल प्रदेश								
3.	असम	2350	49100	107731.22	1702	803.6	1312	11945	174943.82
4.	बिहार		29215.1	75556.95					104772.05
5.	छत्तीसगढ़	3998	829643	76150.46			515333	1002801	2427925.5
6.	दिल्ली	21677	269	1098					23044
7.	गोवा			460					460
8.	गुजरात	44236.56	87295.6	2128	27446.18	3500	4290	125450	294346.338
9.	हरियाणा		223.15		4576.41				4799.54
10.	हिमाचल प्रदेश			22					22
11.	जम्मू और कश्मीर								
12.	झारखंड	6196	5	360	40	4			6605
13.	कर्नाटक	68824	183769	31355	14704	15092	1011125	37542874	38867743
14.	केरल	9885.88	26038.75	752.5368	144	6489.032	312.6	356.89	43979.68
15.	मध्य प्रदेश	5436.7	28377	25520.9	11140.9				70475.4
16.	महाराष्ट्र	42231	34909	13312	40993				131445
17.	मणिपुर		100			50			150
18.	मेघालय								
19.	मिजोरम			6					6
20.	नागालैंड		15015	1060.5			12726	52520	81321.5
21.	ओडिशा	13153.5	12,102	17064.5	680	785		5565	49,350
22.	पंजाब	36005.22	1458.66	545	6116.98	37.22			44163.08
23.	राजस्थान	17870	2960	12425	11442	70			44767
24.	सिक्किम								
25.	तमिलनाडु	57456.8	55461.55	4451.042	588.9816	157.7	324149		442265
26.	तेलंगाना	24706	1197.1	29.121	927.3	230			27134
27.	त्रिपुरा			522.015	383.05	85.151			990.216
28.	उत्तर प्रदेश		7703	131	7614.75	17789.49			33238.24
29.	उत्तराखंड	2100	396.64		3462.63				5959.27
30.	पश्चिम बंगाल	50750	261	2343.09	810.7	7983.84		114.69	59294.32
31.	चंडीगढ़								
32.	पुदुचेरी						600	600	1200
	कुल	**406876.66**	**1,365,507.57**	**373360.33**	**132772.8816**	**53077.033**	**1869847.6**	**38742226.6**	**42,940,832.47**

राज्य सरकारों/आरसीओएनएफ से प्राप्त सूचना के अनुसार